6:43
Search
Amended prakosh lax...

|| श्री ||

|| संशोधन–पत्र ||

यह संशोधन पत्र निष्पादित कर देने वाले -- श्री मधुमिलिन्द पिता स्व. श्री नरेन्द्र कुमार जी सेठी तर्फे आम मुखत्यार श्री गोवर्धन पिता श्री रामाजी जोशी निवासी–109, पंढ़रीनाथ पथ, इन्दौर (म.प्र.) (जिन्हें इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से "निष्पादक" शब्द से सम्बोधित किया गया है) यह लेख निम्नानुसार लिख देते है कि:–

(1) यह कि, निष्पादक ने शहर इन्दौर के एम.जी. रोड़ यहां पर स्थित प्लाट क्रमांक 576 पर दाखला क्रमांक 1789 ग्राम पंचायत विकास खण्ड इन्दौर द्वारा दिनांक 26–6–1995 के अनुसार "लक्ष्मी टॉवर" नामक भवन का निर्माण किया है।

(2) यह कि, उक्त भवन में एक बेसमेन्ट है जिसमें पार्किंग का प्रावधान है, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर जिसमें पाँच प्रकोष्ठ रहेंगे एल.जी.–1, एल.जी.–2, एल.जी.–3, एल.जी.–4, एल.जी.–5, अपर ग्राउण्ड फ्लोर में पाँच प्रकोष्ठ रहेंगे यू.जी.–1, यू.जी.–2, यू.जी.–3, यू.जी.–4, यू.जी.–5, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल है जो कि नगर निगम के स्वीकृत नक्शे अनुसार है। जबकि रजिस्टर्ड घोषणा पत्र क्रमांक 1अ/3962 (ख) दिनांक 07–11–1998 में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर निगाह चूक एवं टाईपिंग त्रुटिवश नहीं लिखा गया है एवं उक्त घोषणा पत्र में प्रथम पृष्ठ एवं जहां जहां आवासीय प्रयोजन लिखा है वहां वहां व्यावसायिक लिखा एवं पढ़ा जावें तथा पृष्ठ क्रमांक 3 में इकाई : टाईप क्रमांक (5) के पेरा क्रमांक (घ) में पार्किंग उद्यान, लॉन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, तरणताल, टेनिस या बेडमिंटन कोर्ट त्रुटिवश लिखा गया है जिसके स्थान पर सिर्फ पार्किंग लिखा एवं पढ़ा जावें।

अविरत....2

उप पंजीयक
जिला–इन्दौर